संख्या- 55/2022/।/165630/2022-001-71-2099-944-2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ परिसर में कान, नाक एवं गला चिकित्सालय (ई0एन0टी0) एरिया में आंतरिक विद्युतीकरण व मेडिकल गैस पाइप लाइन की व्यवस्था से सम्बन्धित रिनोवेशन (सुदृढिकरण) कार्यों की प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-597/योजना अनु0/2022, दिनांक 13.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ परिसर में कान, नाक एवं गला चिकित्सालय (ई0एन0टी0) एरिया में आंतरिक विद्युतीकरण व मेडिकल गैस पाइप लाइन की व्यवस्था से सम्बन्धित रिनोवेशन (सुदृढिकरण) कार्यों की प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-38/2022/27/2022-71-2099/944/2021, दिनांक 30.03.2022 के द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू0 23.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 11.74 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं।

3- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 13.04.2022 के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रयोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 23.48 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 के '24-बृहद निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि से अवशेष धनराशि रू0 11.74 लाख (रूपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र) अनुदान संख्या-31 से अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता्पूर्ण कार्य पूर्ण किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त् करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(4) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) कुलपति/कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(9) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कुलपति/कुलसचिव का होगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

(12) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। निर्माण के समय इनका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(14) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(15) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(16) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(17) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धिता का दायित्वी कुलपति/कुलसचिव का होगा।

(18) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(19) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

(20) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

(21) प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर संबंधित निदेशक/कुलसचिव /प्रधानाचार्य द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

(22) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30 दिसम्बसर, 2021 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/ दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(23) धनराशि को कोषागार से वित्तक अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,74,000 (रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224 /दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2022/I/165630/001-71-2099-944-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यायक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।